


**शुद्धि-पत्र**

वर्ष 2021-22 के बजट हेतु निम्नानुसार शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है :-

| क्र. | पुस्तिका क्र. | पृष्ठ क्रमांक   | मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष                              | मद क्रमांक           | मुद्रित  | संशोधित पढ़ा जावे  | रिमांक   |
|------|---------------|-----------------|--|----------------------|--|--|--|
| 1.   | 19            | 96              | 24 / 5054  | 5                    | तालिका के स्तंभ -03 में सरल क्र. 291 पर अंकित- तलाबपिपलिया से संजीत मार्ग (व्हाया दौरबाडी) | मल्हारगढ़ रेल्वे स्टेशन से नारायणगढ़ मार्ग (एमडीआर) का चौड़ीकरण  | समान कार्य स.क्र. 427 पर अंकित है। अतः दोहराव को समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया है।  |
| 2    | 19            | 64              | —  | नवीन व्यय की अनुसूची | मांग संख्या 053 त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता                           | मांग संख्या 053 लोक निर्माण कार्य- भवन   | मांग संख्या 053 का नाम संशोधन हुआ है टंकण त्रुटि सुधार हेतु  |
| 3    | 31            | 151             | 23 / 4702  | 6                    | तालिका के स्तंभ -03 में सरल क्र. 74 पर अंकित- आगर-मालवा                                    | नीमच   | कलिया खो तालाब का जिला टंकण त्रुटि के कारण नीमच के स्थान पर आगर-मालवा अंकित है, अतः संशोधन किया गया है।                            |
| 4    | 31            | 154             | 023 / 4702   | 6                    | रूपये 148000 /- का प्रतीक प्रावधान   | रूपये 142000 /- का प्रतीक प्रावधान   | टंकण त्रुटि सुधार करने हेतु  |
| 5    | 28            | 6,15,16,22      | 035 / 2851,<br>4851 / 6750                               | —                    | पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास   | अधोसंरचनात्मक विकास  | पुस्तिका क्रमांक 28 व 35 में समान योजना क्रमांक 6750 आवश्यक होने के कारण, एक समान नाम रखे जाने हेतु संशोधन किया गया है।            |
| 6    | 35            | 30,31,67,<br>75 | 014 / 2503,<br>4403 / 6750                               | —                    | पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास   | अधोसंरचनात्मक विकास  | पुस्तिका क्रमांक 28 व 35 में समान योजना क्रमांक 6750 आवश्यक होने के कारण, एक समान नाम रखे जाने हेतु संशोधन किया गया है।            |
| 7    | 17            | 100             | 019 / 2211 /<br>7178                                     | —                    | 2315-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)  | 2366-मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता  | योजना क्रमांक 7178-प्रसूति अवकाश सहायता को योजना क्रमांक 2366-मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता में समाहित किये जाने के कारण। |
| 8    | खण्ड 8        | 7               | 014 / 2503,<br>4403 / 6750                               | —                    | पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास   | अधोसंरचनात्मक विकास  | पुस्तिका क्रमांक 28 एवं 35 में संशोधन किये जाने के कारण  |
| 9    | खण्ड 9        | 34,48           | 014 / 2503,<br>4403 / 6750<br>035 / 2851,<br>4851 / 6750 | —                    | पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास   | अधोसंरचनात्मक विकास  | पुस्तिका क्रमांक 28 एवं 35 में संशोधन किये जाने के कारण  |
| 10   | 7             | 63              | 008 / 2029 /<br>2503                                     | —                    | —  | योजना क्रमांक 2503-परिमाण, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य को योजना क्रमांक-6846 भू-प्रबंधन में समाहित किया गया। | महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूची में जोड़ा जाना आवश्यक है।  |
| 11   | 7             | 63              | 008 / 2029 /<br>6345                                     | —                    | —  | योजना क्रमांक 6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, कृषि विभाग के बजट में स्थानांतरित                                       | महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूची में जोड़ा जाना आवश्यक है।  |

| क्र. | पुस्तिका क्र. | पृष्ठ क्रमांक | मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष | मद क्रमांक | मुद्रित  | संशोधित पढ़ा जावे   | रिमार्क  |
|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--|---|--|
| 12   | 10            | 44            | 010 / 4406 /<br>5399        | —          | —  | योजना क्रमांक-5399 मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन को कैम्पा योजनाओं में समाहित किया गया है।   | महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूची में जोड़ा जाना आवश्यक है।  |
| 13   | 24            | —             | 032 / 2220 /<br>8808        | —          | —  | योजना क्रमांक-8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य को योजना क्रमांक 2304-निदेशन तथा प्रशासन में समाहित किया गया।  | महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाये जाने हेतु बजट पुस्तिका क्रमांक 24 में अतिरिक्त पृष्ठ क्रमांक 26 जोड़ा जाना आवश्यक है।  |
| 14   | 38            | —             | 044 / 2202 /<br>6064,2304   | —          | —  | योजना क्रमांक-6064 कला महाविद्यालय को योजना क्रमांक 0798-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय में समाहित किया गया तथा योजना क्रमांक-2304 निदेशन और प्रशासन को योजना क्रमांक-3443 महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय में समाहित किया गया। | महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाये जाने हेतु बजट पुस्तिका क्रमांक 38 में अतिरिक्त पृष्ठ क्रमांक 44 जोड़ा जाना आवश्यक है।  |
| 15   | 18            | 102,<br>103   | 022 / 6217 /<br>7913        | 6<br>6     | लघु शीर्ष 192 और आवर्ती राशि 1<br><br>इस हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है। राशि रुपये 1,000 का प्रतीक प्रावधान | लघु शीर्ष 191 और आवर्ती राशि 10,00,00<br><br>इस हेतु रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राशि रुपये 10,00,00,000 का प्रावधान   | योजना क्रमांक 7913-नगरीय संस्थाओं को सामान्य प्रयोजन हेतु ऋण में राशि रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है परंतु नवीन मद की सूची में टंकण त्रुटि के कारण राशि रुपये 1 हजार दर्शित हो रही है। |

  
 (जगदीश देवडा)  
 (जगदीश देवडा)  
 वित्त, वाणिज्यिक कर,  
 योजना, आर्थिक सहस्राध्यकी  
 मध्यप्रदेश शासन